संख्या-04/2023/1495/दो-2-2022-28/2(43)/2022

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2023**

विषय:- श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी.सी.एस.(से.नि-31-12-2022) के पेंशन,राशिकरण,उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0,उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **31.12.2022** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण उपादान प्रपत्रों की दो प्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अरूण कुमार शुक्ल के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अत: इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान का प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना से शासन को यथासमय अवगत कराते हुए, श्री अरूण कुमार शुक्ल की सेवा पुस्तिका मूलरूप में इरला वेतन पर्ची अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

संलग्नक:-पेंशन प्रपत्र/सेवा पुस्तिका मूलरूप में।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0,से0नि0, पता-म0नं0-88, बसन्त विहार, झूँसी, प्रयागराज,उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-04/2023/1495(1)/दो-2-2022-28/2(43)/2022
लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2023

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ,जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **31.12.2022** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियॉ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0,से0नि0, पता-म0नं0-88, बसन्त विहार, झूॅसी, प्रयागराज,उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-04/2023/1495(।।)/दो-2-2022-28/2(43)/2022
लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2023

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक-**31-12-2022** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन ।

2- श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0,से0नि0, पता-म0नं0-88, बसन्त विहार, झूँसी, प्रयागराज,उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-04/2023/1495(।।।)/दो-2-2022-28/2(43)/2022
लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2023

आदेश

श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि खाता संख्या-**जी0ए0यू0-72672** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री अरूण कुमार शुक्ल,से0नि0,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-309/53537/69608,दिनांक 09/11.11.2022 के अनुसार वर्ष 2021-2022 तक कुल जमा धनराशि रू0 48,77,015/- (रू0 अडतालीस लाख सतहत्तर हजार पन्द्रह मात्र) जिसमें माह 3/22 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-43,89,313/-(रू0 तैंतालीस लाख नवासी हजार तीन सौ तेरह मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री अरूण कुमार शुक्ल के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज-प्रथम-(निधि-17)
2- **आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया **श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0, तत्कालीन उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त** के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो। **(रजिस्टर्ड)**
3- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार(कलेक्ट्रेट) लखनऊ। (रजिस्टर्ड)**
4- श्री अरूण कुमार शुक्ल,पी0सी0एस0,से0नि0, पता-म0नं0-88, बसन्त विहार, झूँसी, प्रयागराज,उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in